



भारत सरकार **Government of India**
खान मंत्रालय **Ministry of Mines**
भारतीय खान ब्यूरो **Indian Bureau of Mines**
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय **Office of the Regional Controller of Mines**
भारतीय सर्वेक्षण परिसरकी भवन संख्या- 61, भूतल, सर्वे चौक, 17-ईसी रोड, देहरादून -248001(उत्तराखंड)
Building No.61, Ground Floor, Survey of India Campus, Survey Chowk, 17
EC Road, Dehradun -248001 (U.K.)
100TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in

Violation Letter**E-MAIL / स्पीड पोस्ट**

फाईल संख्या /File No: MCDR-MiFLOLLST/5/2022-DDN- Mine Code: दिनांक:- 17.02.2025
IBM_RO_DD N 38HPR10010

सेवा में /To : श्री मृगेन्द्र सिंह E-mail:dksinha528@gmail.com
पुत्र श्री माज आर .एच . गावं –लाने मशहूर hemangsinghbhate@gmail.com
तहसील –रेणुकाजी, जिला-सिरमौर(हि.प्र.).

विषय /Sub: ग्राम- लाने मशहूर, तहसील-पांवटा साहिब, जिला- सिरमौर हिमाचल प्रदेश के पास 4.44 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र में स्थित आपकीदुर्गा चूना पत्थर खदान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन के संबंध में।

महोदय /Sir,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 08.01.2025 को श्री रवि, खान प्रबंधक की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

<u>RULE NO.</u>	<u>NATURE OF VIOLATION OBSERVED</u>
11(1)	Mining Operation were not carried out in accordance with Review mining plan approved vide letter No. 614(2)/76- DDN dated 14.09.2021 to the following extent: 1. <i>During the year 2023-24, the development of benches was proposed with a height of 5 meters at Pit- I-from1880 mRL to 1875 mR and Pit- II from1795 mRL to 1790 mRL and Pit- III from1690 mRL to 1685 mRL . However, during the inspection, the bench height was found to exceed 5 meters.</i>
45 (7)	In the submitted annual return of 2023-24 discrepancy are found as follows: i. <i>It has been observed that you have submitted incomplete information by not providing the registration number of purchasers of mineral in the Annual returns.</i>

- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम - 2021 के तहत दंडनीय अपराध है | 45(7) का उल्लंघन नियम 62(2) एम सी डी आर संसोधन नियम 2021 के तहत दंडनीय है।
- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम - 2021 के तहत दंडनीय अपराध है |
- इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंधा की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय Yours faithfully,

(नितिन/Nitin)
कनिष्ठ खनन भू-विज्ञानी /Junior Mining Geologist

भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र0). (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

(नितिन/Nitin)

कनिष्ठ खनन भू-विज्ञानी /Junior Mining Geologist
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines